



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस  
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/2016

**प्रार्थी**

1. गुदड़राम पुत्र पुरखाराम
2. भीयाराम पुत्र पुरखाराम
3. टीकमराम पुत्र पुरखाराम  
सभी जातियान सीरवी  
निवासीगण उदलियावास  
तहसील बिलाड़ा जिला  
जोधपुर

**बनाम**

1. कालुराम पुत्र मगाराम
2. हड़मानराम पुत्र कालुराम
3. भगाराम पुत्र कालुराम
4. बचनाराम पुत्र मगाराम
5. सोहनी पत्नी शेषाराम
6. सुजाराम पुत्र पेमाराम  
सभी जातियान सीरवी  
निवासीगण उदलियावास  
तहसील बिलाड़ा, जिला  
जोधपुर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

निर्णय

दिनांक :- 14.07.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.2016 की पालना आदिनांक नहीं की गयी है। जो आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. का स्पष्ट तथा उल्लंघन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या /2016 गुदड़राम वगैरा बनाम कालूराम वगैरा के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा